



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 1, 1969/कार्तिक 10, 1891

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 1, 1969/KARTIKA 10, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 3 अक्टूबर/1969 तक प्रकाशित किये गये

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published upto the 3rd October, 1969:—

Issue No.	No. and Date	Issued by	Subject
157	G.S.R. 2360, dated 27th September, 1969.	Ministry of Railways.	The Open Lines (Railways in India) Fourth Amendment General Rules, 1969.
158	G.S.R. 2361, dated 30th September, 1969.	Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation.	Fixation of minimum price by the owners of the vacuum pan process sugar factories for sugarcane delivered at the gate of their factories.
159	G.S.R. 2362, dated 30th September, 1969.	Ministry of Finance.	Further amendment in the Notification No. 69-Customs, dated 13th June, 1968.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 16th October 1969

G.S.R. 2536.—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Cinematograph Act, 1952 (37 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cinematograph (Censorship) Fifth Amendment Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In clause (ix) of rule 2 of the Cinematograph (Censorship) Rules, 1958, for the words 'States of Madras, Andhra Pradesh, Mysore or Kerala' the words "States of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Mysore or Kerala" shall be substituted.

[No. 4/6/69-F(C).]

New Delhi, the 22nd October 1969

G.S.R. 2537.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules, 1959, published with the notification of Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1090 dated the 21st September, 1959, namely:—

1. (1) These rules may be called Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Amendment Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Films Division (Recruitment to Class III and Class IV posts) Rules 1959, against serial number 13, relating to Editor,—(a) for the existing entry in column 9, the following shall be substituted namely:—

"Below 35 years";

(b) in column 10, in paragraph 2 under the heading Essential, the words and letters "out of which 3 years should have been put in as a film editor" shall be deleted.

[No. 3/11/69-F(A).]

K. K. KHAN, Under Secy.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1969

जी० एस० आर० 2538 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1090, तारीख 21 सितम्बर, 1959 में प्रकाशित फिल्म प्रभाग (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती) नियमावली, 1959 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों को फिल्म प्रभाग (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती) संशोधन नियमावली, 1969 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. फिल्म प्रभाग (तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी पद भर्ती) नियमावली, 1959 के परिशिष्ट में सम्पादक से सम्बन्धित क्रम संख्या 13 के सामने, —

(क) कालम 9 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्ट के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्ट रखी जाए :
“35 वर्ष से कम”

(ख) कालम 10 के अन्तर्गत “आवश्यक” शीर्ष के पैरा 2 में से “जिसमें 3 वर्ष फिल्म सम्पादक के रूप में काम किया हो” शब्द निकाल दिए जाएं।

[फाइल संख्या 3/11/69-एफ (ए)]

के० के० खान, अवर सचिव।

New Delhi, the 18th October 1969

G.S.R. 2539.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, published with the notification of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. G.S.R. 1776, dated the 30th November, 1964, namely.

(1) These rules may be called the All India Radio (Class III posts) Recruitment (Sixth Amendment) Rules, 1969.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

In the Schedule to All India Radio (Class III posts) Recruitment Rules, 1964, for the entries relating to the post of “Field Assistant” against serial number 46, the following shall be substituted, namely:—“46.....”.

SCHEDULE

I	2	3	4	5	6	7	8	9
46	Field Assistant	General Central Service Class III Non-Ministerial	Rs. 170-10-260-15-335	100% by direct recruitment	-	-	Not applicable	Below 30 years
10					11	12		13

Essential:

- (i) Diploma in Agriculture or two years Village Level Workers' training course. Two years Not applicable
- (ii) Three years experience as Village Level Worker or in an equivalent capacity in the field of Agriculture
- (iii) Fluency in the language or dialect of the State or of the Union territory in which the Station or the Centre is situated.
- Qualification relaxable at the discretion of Selection Committee in the case of candidates otherwise well qualified).

[No. 17/7/69-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 अक्टूबर 1969

जी० एस० आर० 2540 :—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रवृत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1776 तारीख 30 नवम्बर, 1964 में प्रकाशित आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं :—

1. (1) इन नियमों को आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती (छटा संशोधन) नियमावली, 1964 कहा जा सकेगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 के परिशिष्ट में क्रम संख्या 46 के सामने "क्षेत्रीय सहायक" के पद से सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रूखी जाएं :—

परि

1	2	3	4	5	6	7	8
40	क्षेत्रीय सहायक	सामान्य केन्द्रीय सेवा तृतीय श्रेणी अलिपिक जर्गिय	170-10- 260-15- 335 रुपये	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	--	--	लागू नहीं होता

शिष्ट

	9	10	11	12	13
		आवश्यक			
30 साल से कम	(1) कृषि में डिप्लोमा या दो वर्षीय ग्राम सेवक प्रशिक्षण कोर्स ।	दो वर्ष	—	लागू नहीं होता ।	
	(2) ग्राम सेवक के रूप में या कृषि क्षेत्र में समकक्ष रूप में तीन वर्ष का अनुभव ।				
	(3) जिस राज्य या संघ प्रशासित क्षेत्र में स्टेशन/केन्द्र स्थित हो उसकी भाषा या बोली में प्रवाह हो (यदि उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य हो तो चयन समिति अपने विवेक से अर्हता में छूट दे सकती है) ।				

[फाइल संख्या 17/7/69-बी (ए)]

ए० वी० मनारायणन, अवर सचिव ।

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 1969

सा० का० नि० 2541/आ०/व०/शर्करा—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 की उप-धारा (3ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा भारत सरकार के खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय (खाद्य विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 764आ०/व०/ शर्करा दिनांक 5 मार्च, 1969 को अतिष्ठित करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची-1 के (2) से लेकर (7) तक के स्तम्भों में विनिर्दिष्ट कीमतों को उसके स्तम्भ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित भारतीय शर्करा मानक श्रेणियों की एसी शर्करा